नहीं तो क्या आप इस को विदेशों से मंगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या देशी किसी फर्म के माध्यम से तैयार कराने का प्रबन्ध कर रहे हैं

श्री देवकान्त बरुआ : माननीय सदस्य को शायद ठीक से मेरा उत्तर सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा था कि यह तो टिस्को और एच० एस० एल बना रहे है। एक खास किस्म का लोहा इस में लगता है, एल्युमिनियम किल्ड क्वालिटी स्टील जिसे कहते है और यह हम यहां बनाते भी है और विदेश से मंगाने के लिए भी फाइनन्स मिनिस्ट्री से या जो विभाग इम्पोर्ट के लिए इजाजत देता है, उसमे इजाजत मांगी है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था गैस की भी कमी है।

ताप्ती नदी बांध परियोजना के संबंध में महाराष्ट्र से सर्वेक्षण रिपोर्ट

*586 **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ताप्ती नदी बांध परियोजना के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). अपर तापी परियोजना, जिसमें महाराष्ट्र में 1.37 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल गांव जिले में हतनुर ग्राम के निकट तापी नदी के पार दायी तट नहर के साथ एक द्वार वाला वियर का निर्माण परिकल्पित हैं, महाराष्ट्र की विकासात्मक योजनाओं में कार्यान्वयन के लिए मार्च, 1970 में स्वीकृत की गई थी और इस समय परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा है।

महाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश सरकारों ने परियोजना के चरण-दो, जिसमे संयुक्त प्रयास के रूप में भी संचय बाध, विद्युत् घर और नहरें परिकल्पित है, को शुरू करने का विचार किया है। इन प्रस्तावो पर दोनो सरकारों द्वारा अन्वेषण किए जा रहे है। परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नही हुए है।

श्री गंगा चरण दीक्षित : ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उस का ज्यादा बहाव मध्य प्रदेश मे ही है। मैं यह जानना चाहता हू कि जो योजना स्वीकृत की गई है, जिस के अन्तर्गत जलगाव जिले में हतनुर गांव के निकट एक बाध का निर्माण हो रहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा तयार की गई उस की सर्वेक्षण रिपोर्ट मे उस योजना के द्वारा मध्य प्रदेश की भूमि को भी सिंचित करने की व्यवस्था की गई थी। क्या उस योजना से मध्य प्रदेश को कोई फायदा होगा ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): I am very glad to state that Madhya Pradesh and Maharashtra Governments have arrived at a very good compromise in trying to develop

the Tapti river for the use of both the States. There are three proposals on the river—one at Kheria and the other at Nawatha, two dams at both the places, and the third at Hatnur. Hatnur is under construction and the other two are under investigation. Both the Governments have accepted sharing of the waters and so on, and they have promised to send the report by June this year. When the report is received, those two projects will be considered and sanctioned, and then water will be available for both Maharashtra and Madhya Pradesh.

श्री गंगाचरण दीक्षित : मंत्री महोदय ने सैकण्ड स्टेज के बारे में कहा है। मैं यह जानना चाहता हू कि फर्स्ट स्टेज में जो काम आलरेडी हो रहा है, क्या उस के द्वारा मध्य प्रदेश को कोई फ़ायदा होगा।

DR K L RAO What we call Upper Tapi Stage-II refers to the proposed construction of dams at Kheria and Nawatha The one that is constructed at Hatnur does not benefit Madhya Pradesh The other two reservoirs will benefit Madhya Pradesh.

Security of Services of Employees in Private Companies

*587. **SHRI BHOGENDRA JHA:** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether it is proposed to ensure statutorily security of service and service conditions of the executives and other officers of private firms and companies in India; and

(b) if so, the main features of the proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) and (b). The Companies Act, 1956 regulates the appointment of and remuneration payable to the Directors and Managers as defined in sub-sections (24) and (26) of Section 2 thereof, in Public Limited Companies or Private Limited Companies which are subsidiaries of Public Limited Companies or Private Company deemed to be public companies under section 43A of the Act only. There is no proposal to amend the Companies Act to enlarge the scope of these provisions to cover persons other than managerial personnel.

However, the definition of "workman" as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 is restricted to workmen drawing wages less than Rs. 500 per month and it does not apply to persons employed mainly in managerial or administrative capacity or to supervisory staff The question whether this definition of "workman" should be redefined for enlarging its scope to cover all or any of the other categories of employees is a matter for the Ministry of Labour and Employment to consider

SHRI BHOGENDRA JHA: It is common knowledge that in the private sector, the management and the owners naturally aspire for, and attempt to implement, the policy of 'hire and fire', and that is why all the officers are dependent upon them for their livelihood and they entirely support the management in helping to violate the Companies Act, Income-tax Act. Labour laws, safety rules, etc. Keeping that in view, may I know what is the hurdle in having in the private sector also the same rules and service conditions which apply to the public sector?

SHRI D. R. CHAVAN: Security of service conditions of executive and other officers of private firms and companies cannot be provided for statutorily under the Companies Act because the power of the Government